टीका लगवाकर संक्रमण का खतरा कम

टीका लगवाना तो दूर, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना ही नामुमकिन सा लग रहा है। इनमें ज्यादातर ऐसे गरीब और अशिक्षित लोग हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो आज भी देश की आबादी का 56 फीसदी हिस्सा स्मार्टफोन से वंचित है।

रमा शाह।।

देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाने की शुरुआत इस महीने की पहली तारीख से हुई, जिसे आज एक पखवाड़ा पूरा हो रहा है। पहले के दोनों चरणों में टीका लगवाने को लेकर आम जनों में कुछ हिचक दिख रही थी, लेकिन जैसे ही 18 प्लस वालों के लिए टीकों की राह खुली, यह हिचक जैसे छूमंतर हो गई। टीकाकरण शुरू होने से पहले ही 1.23 करोड़ युवा अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। चूंकि इस आयु वर्ग के लोगों के टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, इसलिए देश भर से युवा टीके के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। मगर इससे भी कहीं बड़ी संख्या उन लोगों की है, जो रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की इस भीड़ को गुमसुम से देख रहे हैं। वे वयस्क हैं, टीका लगवाने की पात्रता रखते हैं, उनकी इच्छा भी है टीका लगवाकर संक्रमण का खतरा कम कर लेने की, लेकिन वे लाचार महसूस कर रहे हैं। टीका लगवाना तो दूर, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना ही नामुमकिन सा लग रहा है। इनमें ज्यादातर ऐसे गरीब और अशिक्षित लोग हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है।

आंकड़ों की बात करें तो आज भी देश की आबादी का 56 फीसदी हिस्सा स्मार्टफोन से वंचित है। जिन लोगों ने किसी तरह सेकंडहैंड स्मार्टफोन हासिल कर लिया है, उनमें से भी बहुत से ऐसे हैं जो इसका ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानते। उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना उनके वश की बात नहीं है। जाहिर है, ऐसे तमाम लोग अभी पूरी तरह उपेक्षित महसूस कर रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा जैसे उनके लिए कोई सोच ही नहीं रहा। किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आबादी के किसी छोटे-बड़े हिस्से की तो छोड़िए, एक भी नागरिक की ऐसी मनोदशा स्वीकार नहीं की जा सकती।

इसीलिए यह मांग उपयुक्त है कि टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म की जाए और उसकी प्रक्रिया को इतना सरल बनाया जाए कि हर व्यक्ति को वह अपनी पहुंच के अंदर महसूस हो। हालांकि सरकार का यह कहना भी गलत नहीं कि खुद रजिस्ट्रेशन न करवा पाने वाले लोग भी पंचायतों की ओर से खोले गए कॉमन सर्विस सेंटर की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा, दोस्तों, रिश्तेदारों से भी मदद ली जा सकती है। लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि आज जब कोरोना की दूसरी लहर यूं ही कहर ढाए हुए है तो अस्पतालों या टीका केंद्रों पर अप्रत्याशित भीड़ न इकट्ठा हो जाए, इसलिए भी रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रिया जरूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ समय बाद जब टीकाकरण तेज होगा और शुरुआती भीड़ कम होगी, तब यह प्रक्रिया भी ज्यादा सहज बनाई जा सकेगी और उसमें सबका शामिल होना भी आसान होगा।

सनातन संस्कृति

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

आज का मनुष्य भी भावनाओं के समुद्र में तैर रहा है, अर्थात भगवान विष्णु की तरह जल में अवस्थित है। सनातन संस्कृति हजारों वर्षों से मनुष्यों का मार्गदर्शन करती आ रही है। इस संस्कृति को सनातन इसलिए कहते हैं कि इसका ना आदि है ना अंत है। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों एवं उपनिषदों में उस सनातन के रहस्य को संकलित किया जिससे आने वाली पीढ़ी उस ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर सके। जहां तक वेदों की बात है वेदों के दो भाग हैं कर्मकांड और ज्ञानकाण्ड! ज्ञानकांड का ही अगला स्वरूप उपनिषद और श्रीमद्भगवद्गीता है। लेकिन सनातनियों का दुर्भाग्य ही कहूंगा जो उन्होने अपने वेदों के सत्य स्वरूप को छोड़ कर आडम्बरों को अपना लिया। जैसे-जैसे समय बीतता गया पुरोहितों (धार्मिक क्रिया करने वाला) द्वारा इसका वही स्वरूप हमारे सामने रखा गया जो व्यावसायिक रूप से हमारे जानने योग्य था।

संपादकीय

धर्मांतरण का भूत

हिंदू संगठनों ने लव जिहाद को मुस्लिम और ईसाइयों की ओर से धर्म परिवर्तन की एक बड़ी साजिश के रूप में लिया है। कहीं इसका राजनीतिक लाभ मिलता है तो कहीं इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। कुछ साल पहले झारखंड में पत्थलगड़ी आंदोलन का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। हालांकि मामला आदिवासियों की परंपरा से जुड़ा बताया जाता था, लेकिन तब सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस आंदोलन को धर्म परिवर्तन करने वाले ईसाई समुदाय के गठजोड़ में चलने वाली साजिश का बताते हुए ध्रुवीकरण की कोशिश की थी। हजारों लोगों पर उसने मुकदमे भी किए। कुछ इलाकों में बीजेपी को जरूर सफलता मिली, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो उसे नुकसान हुआ क्योंकि इस आंदोलन के बहाने जेएमएम और कांग्रेस को आदिवासी समुदाय के बीच अपना खोया जनाधार वापस मिल गया। यह मुद्दा 2014 के बाद पहली बार तब बड़े पैमाने पर सामने आया, जब एक टीवी चौनल के स्टिंग ऑपरेशन में एक संगठन की ओर से धर्म परिवर्तन करने का दावा किया गया। इसमें यह भी दावा किया गया कि यह संगठन विदेश से पैसा लेकर देश के अंदर इस तरह की गतिविधि करता है और हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करता है। इन सब कामों के लिए विदेश से हवाला के जरिए फंडिंग का भी आरोप लगा और जांच एजेंसी ने इससे जुड़े सूबत मिलने का भी दावा किया। फिर इससे संबंधित केस सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे। हालांकि अभी तक इस मामले में जांच पूरी नहीं हो सकी है। हालांकि बीजेपी का मानना है कि लव जिहाद एक ऐसा मामला है, जिससे उसे व्यापक समर्थन मिला है।

मामले की जांच करते हुए केरल पुलिस ने कोर्ट में लिखित रिपोर्ट दी कि कई संगठन साजिशन केरल में लड़कियों को मुस्लिम बनाने के मकसद से प्रेम करते थे।

सालों पुराना है अजेंडा

नरेंद्र नाथ।।

लव जिहाद और धर्मांतरण के मसले पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सियासत गरम है। जम्मू-कश्मीर में सिख लड़की और मुस्लिम लड़के से जुड़े मामले को लव जिहाद से जोड़ा गया। वहां इस मुद्दे पर पिछले एक हफ्ते से तीखा आरोप-प्रत्यारोप चला और सिख संगठनों ने सरकार से उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश की तर्ज पर लव जिहाद कानून बनाने की मांग की। आरोप है कि दो सिख लड़कियों को श्रीनगर में जबरन दूसरे समुदाय के लोगों से शादी के लिए बंधक बनाया गया। हालांकि बाद में इस प्रकरण के कई अन्य पहलू भी सामने आए, जो लव जिहाद के दावों के विपरीत थे। खैर, तब तक लव जिहाद का मुद्दा जोर पकड़ चुका था। यह मामला ऐसे समय में उठा है, जब जम्मू कश्मीर में चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है।

अगले साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। कुछ लोग इसे उनसे भी जोड़कर देख रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों ने इस दिशा में कानून बनाने की पहल की है। कानून बनाने के लिए राज्यों ने अध्यादेश का रास्ता अपनाया। इस बीच, लव जिहाद पर दोनों तरह के तर्क सामने आए हैं। मामला हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है

और कुछ में सुनवाई भी चल रही है। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, असम और हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद से संबंधित कानून या तो बन गए हैं या इसे बनाने की पहल की जा चुकी है। गुजरात में तो पिछले महीने ही यह कानून प्रभाव में आ गया है।

जानकार कहते हैं कि लव जिहाद से जुड़ा कानून कोई नया नहीं है। पहले ही मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों में इससे जुड़ा कानून था। इस बार इसमें संशोधन करके दोषियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया है। अब लव जिहाद के मामलों में 5 से 10 साल की जेल हो सकती है। उधर, विपक्ष इस मामले पर अब तक चुप रहा है। उसे पता है कि पहले ही ऐसे मसलों पर उसका राजनीतिक नुकसान हो चुका है। इस कारण तमाम विपक्षी दल मुस्लिम संगठनों के निशाने पर भी आए। इन्हीं वजहों से ओवैसी की पार्टी ने कुछ राज्यों में अपनी सियासत मजबूत की। विपक्षी दलों को यह भी लगता है कि इन मुद्दों का सिर्फ सियासी मकसद है, जो उनके विरोध करने भर से पूरा हो जाएगा। इसलिए विपक्ष ने इनसे खुद को दूर रखने का फैसला किया है।

याद रहे कि लव जिहाद के नाम पर राजनीति भले ही आज गरम हो, हिंदूवादी संगठनों के लिए यह मसला सालों पुराना है। साल 1909 में प्रखर हिंदूवादी नेता यूएन मुखर्जी ने धर्मांतरण का मुद्दा उठाया था और उस वक्त इस मुद्दे पर जोरदार बहस हुई थी। तब हिंदू संगठनों ने 'शुद्धि और संगठन' नाम से एक अभियान भी चलाया। यह अभियान आज पूरे देश में चल रहे 'घर वापसी अभियान' का ही एक रूप था। तब से लेकर आज तक यह हिंदू संगठनों के अजेंडे में अहम रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, तो कानून के स्तर पर भी इसकी पहल हुई।

दिलचस्प बात है कि लव जिहाद शब्द का पहली बार इस्तेमाल 2009 में केरल में वामदलों की ओर से किया गया था। वहां वामदलों ने ईसाइयों के मुस्लिम धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाया था। लेफ्ट के वीएस अच्युतानंदन यह मुद्दा उठाने वालों शुरुआती नेताओं में शामिल थे। दरअसल, केरल में लेफ्ट हिंदू और ईसाई वोट के सहारे सत्ता तक जाता रहा है। फिर कर्नाटक में इसका प्रयोग हुआ। बाद में बीजेपी और दूसरे हिंदू संगठनों ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना डाला।

सूडोकु नवताल-5266

सरल

7	8	6		1		5		2
	9			8				3
1			6	9		7		
	3	8	2		1			
2	7	5				6	3	1
			5		7	2	8	
		9		7	4			6
8				2			5	
4		2		5		9	1	7

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5265 का हल

2	9	5	3	1	4	6	8	7
3	6	1	2	8	7	4	9	5
8	4	7	5	9	6	3	2	1
5	7	4	1	6	2	8	3	9
1	3	6	9	4	8	5	7	2
9	8	2	7	3	5	1	4	6
6	2	8	4	7	1	9	5	3
4	5	3	6	2	9	7	1	8
7	1	9	8	5	3	2	6	4

अपना ब्लॉग

वायरस के भी म्यूटेंट बनते चले गए

मोहन। ठीक है कि हमने इसे कम समय में बनाया, लेकिन वायरस के भी म्यूटेंट बनते चले गए। अब हम इस संशय में हैं कि क्या ये टीके सारे म्यूटेंट्स पर काम करेंगे? वायरस हमारे इंटेलिजेंस की कड़ी परीक्षा ले रहा है। यह हकीकत है कि 70 फीसदी से अधिक बीमारियां या प्राकृतिक आपदाएं इंसानी गलतियों का नतीजा हैं। हम पहले प्रकृति का नाश करते हैं, फिर नई महामारी आती है और तब हम दवा और टीका बनाते हैं, जिन्हें बनाने वाले लोग अकूत संपत्ति बनाते हैं। बात सिर्फ महामारी तक ही होती, तो भी गनीमत थी। हमने बेहतर उत्पादन के नाम पर पारंपरिक कृषि को नष्ट किया। इससे जब मिट्टी खराब हुई तो हमने खाद बनाई। ऐसे ही पीने के पानी को देखें तो पहले इसे दूषित किया, फिर मिनरल वॉटर रीपैकेज होकर सामने आ गया। हवा को प्रदूषित किया और आज बिना प्रदूषण वाली ताजा हवा भी बाजार में बिक रही है।